न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-515RAAJodhpur2022-319RTA225 Madanlal ors Vs Manaram etc

01. मदनलाल पुत्र श्री ओगड़राम
02. मेघाराम पुत्र श्री ओगड़राम
दोनो जातियान्- कुम्हार, निवासीगण ग्राम बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. मानाराम पुत्र श्री ओगड़राम
02. जगदीश पुत्र श्री ओगड़राम
03. श्रीमती गटुदेवी पत्नी स्व. श्री ओगड़राम
04. श्रीमती तिजाई पत्नी श्री मांगीलाल जी
05. भुण्डाराम पुत्र श्री मांगीलाल
सभी जातियान्- कुम्हार, निवासीगण ग्राम बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 47/2021 राजस्थान सरकार बनाम मानाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 17 अगस्त 2023

17.8.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 47/2021 राजस्थान सरकार बनाम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या छः द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बिलाड़ा की सरहद पर स्थित खसरा नं. 941 रकबा 2.1600 हैक्टेयर किस्म चाही अव्वल अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के नाम से दर्ज है तथा अपीलांट्स द्वारा बिना सक्षम अनुमति के 10850 वर्गफूट भूमि पर पत्थर कटिंग लघु उद्योग का कार्य संचालित किया जा रहा है, जो खातेदारी शर्तो का उल्लंघन है। खातेदार द्वारा किये गये उक्त कृत्य से राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी, तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर आलौच्य आदेश पारित किया है। धारा 177 की उपधारा 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय आवेदन को वाद पत्र मानेगा और मामले में

17.0.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियमित वाद की तरह कार्यवाही करेगा। इस प्रकार विधि के प्रावधानों से स्पष्ट है कि इस प्रकार के आवेदन में एक वाद मे की जाने वाली कार्यवाही/प्रक्रिया को अपनाते हुए विधिवत तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई से ही निस्तारित किया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या छः द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। जहां तक प्रार्थी/तहसीलदार स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य दी है एवं न ही उनकी ओर से पटवारी इत्यादि ने अपनी रिपोर्ट पर कोइ साक्ष्य दी है, इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा सर्वे रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट में अलग-अलग तारीखे दर्शायी गई है तथा मौका रिपोर्ट पर मौतबिरानों के हस्ताक्षर नहीं है तथा नही अपीलांट्स के हस्ताक्षर है। उक्त मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर नोटिस विधिवत तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट्स द्वारा बिना किसी समक्ष स्वीकृति के कृषि भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्माण किया है, जिससे राज्य पक्ष को राजस्व हानि हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौका फर्द के आधार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के

17.4.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन मुताबिक प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवादित भूमि खसरा नं 941 रकबा 2.1600 हैक्टेयर के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन तामीली रिपोर्ट्स के मुताबिक अपीलांट्स पर तामील हेतु भेजे गये सम्मन अपीलांट्स स्वयं पर तामील नहीं करवाये जाकर उनके भाई मानाराम पर तामील होना बताया गया है तथा नियमानुसार तामीली रिपोर्ट पर दो मौतबिरानों के हस्ताक्षरो का अभाव पाया जाता है। जिससे अपीलांट्स पर सम्मन की सम्यक तामील नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को राजकीय पैरोकार की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि ''**नोटिस में विनिर्दिष्ट समय में उपस्थित होने और बेदखली के दायित्व का प्रतिवाद करने पर, उचित न्यायालय-फीस संदाय करने पर न्यायालय आवेदन को वाद-पत्र मानेगा और मामले में वाद की तरह कार्यवाही करेगा।**'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना, उन्हें जवाब प्रस्तुति के बाद धारा 177 के प्रावधानों के तहत हस्तगत मामले में वाद-विचारण की प्रक्रिया की तरह प्रार्थना पत्र एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

17.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 4 में विहित प्रावधानो की पालना करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.8.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर